प्रश्न सं. [क्र. 93]

परि. 'अ' (1) से (2)

(1)

कार्यालय जनपद पंचायत, नर्मदापुरम

क्रमांक / 1938 /स्था/जप/2025 नर्मदापुरम दिनांक 05/06/2025

प्रति

कलेक्टर महोदय
नर्मदापुरम

विषय :– फर्जी पट्टा आवंटन की आरोपी श्रीमती प्रीति पटेल पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 5694/म.सा.वि./25 नर्मदापुरम दिनांक 22.04.2025

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है :–

1. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पंचायत के किसी भी पदधारी द्वारा पंचायत में अपने किसी नातेदार के लिए नियोजन प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रयोग करना या किसी नातेदार को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही करना जैसे कि किसी प्रकार का कोई पट्टा देना उनके माध्यम से पंचायत में किसी कार्य को करवाना उल्लेखित है। नातेदार की परिभाषा में पिता माता, भाई–बहन, पति–पत्नि, पुत्र–पुत्री, सास–श्वसुर, साला–बहनोई, देवर, शाली, भाभी, नंनद, देवरानी, जेठानी, दामाद या पुत्र–पुत्रबधु सम्मिलित है। यदि इस प्रकार पाया जाता है तो पदधारी से हटा दिया जायेगा। प्रावधानित है।
2. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत ग्राम सभा सोनासांवरी, ग्राम पंचायत सोनासांवरी द्वारा हितग्रांहियों का चयन किया गया था। जिसमें श्री दिलीप पटेल का भी सम्मिलित है। ग्रामसभा से चयनित हितग्राहियों को पट्टे जारी करने हेतु तत्कालीन सरपंच, सचिव, पटवारी द्वारा हस्ताक्षर सहित सूची तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में पट्टा जारी करने हेतु तत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई। इस आशय की जानकारी तत्कालीन सचिव श्री मनीष राजपूत द्वारा जांच के दौरान अवगत कराया गया था। श्री दिलीप पटेल के पास जो पट्टा उपलब्ध है, उसकी पुष्टि ग्राम पंचायत सोनासांवरी से की गई सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम उदय से भारत उदय के तहत ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है एवं तहसीलदार इटारसी से पट्टे जारी करने की पुष्टि करने पर उनके द्वारा बताया गया कि श्री दिलीप पटेल/दीनदयाल पटेल के नाम तहसील इटारसी द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। श्री दिलीप पटेल के पास उपलब्ध पट्टा किस स्तर से जारी हुआ है। इस आशय की पुष्टि नहीं हो पाई है। जिससे यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कि यह पट्टा असली है या फर्जी है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सोनासांवरी के पटवारी श्री हितेश पटेल की मृत्यु भी हो चुकी है। इस कारण और भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।
3. श्रीमती अनिता भगौरिया के द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु श्री दिलीप पटेल के पास उपलब्ध पट्टा मंगाया गया था। जिसमें उन्हें पट्टा कैसे प्राप्त हुआ, उल्लेखित किया गया था। श्री दिलीप पटेल द्वारा उपलब्ध कराए गए पट्टे तथा श्रीमती अनीता भगोरिया द्वारा शिकायत में प्रस्तुत किए गए पट्टे का मिलान करने पर दोनों एक ही पाए गए। साथ ही श्रीमती प्रीति पटेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पट्टे की प्रति बुलाए जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध अवमानना याचिका दर्ज की गई थी। इस कारण श्री दिलीप पटेल के पट्टे

उप संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

का मिलान कर वापिस कर दिया गया था। उक्ताशय की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अवमानना याचिका के जबाव में प्रस्तुत की गई है।

4. पट्टा फर्जी होने की पुष्टि ग्राम पंचायत/राजस्व विभाग से ही संभव है।
5. पंचायतराज अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के अंर्तगत राजस्व मामले में कार्यवाही के लिए विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हैं तथा पंचायत के मामले में कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम हैं। अनुरोध है कि जनपद पंचायत उक्त कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं है।

अतः चाही गई जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नर्मदापुरम

उप संचालक
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल